



## कार्यालय आदेश

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के D.O. No. 4-4/2021-IS-2, दिनांक 24.05.2021 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना यथा समग्र शिक्षा हेतु राशि विमुक्ति एवं व्यय की निगरानी के लिए संशोधित प्रक्रिया किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रभावी नगद प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में पारदर्शिता में सुधार करना है। अंकनीय है कि संशोधित प्रक्रिया माह जुलाई, 2021 से प्रभावी है, जिसके तहत सभी क्रियान्वयन एजेन्सी (IAs) लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के Web - Portal पर पंजीकृत एवं Mapped होंगे, तत्पश्चात् सभी तरह के भुगतान लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के Web - Portal क्रियान्वयन हेतु तीन प्रकार के Agency Users यथा Agency Data Administrator, Agency Data Approver और Agency Data Operator होते हैं, जिनका अलग-अलग कार्य क्षेत्र होता है। सुलभ प्रसंग हेतु PFMS के User Manual के आधार पर संक्षिप्त कार्य क्षेत्र तैयार किया गया, जो **अनुलग्नक - I** के रूप में संलग्न है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यक्रम के लिए विभिन्न स्तर हेतु Agency Users निम्नवत नामित किया जाता है :-

(1) AGENCY USER		
1.1 - Agency Data Administrator		
स्तर	कार्यालय का नाम	पदाधिकारी/कर्मी
राज्य स्तरीय कार्यालय	राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	निदेशक
जिला स्तरीय कार्यालय	बिहार शिक्षा परियोजना	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान)
	DIET	प्राचार्य
प्रखण्ड स्तरीय कार्यालय	प्रखण्ड संसाधन केन्द्र	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
	कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय	संबद्ध विद्यालय के प्रधानाध्यापक
VSS/SMDC	विद्यालय शिक्षा समिति	संचालन समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव
	विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति	विद्यालय के प्रधानाध्यापक-सह-अध्यक्ष
1.2 - Agency Data Approver		
स्तर	कार्यालय का नाम	पदाधिकारी/कर्मी
राज्य स्तरीय कार्यालय	राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	निदेशक



जिला स्तरीय कार्यालय	बिहार शिक्षा परियोजना	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान)
	DIET	प्राचार्य
प्रखण्ड स्तरीय कार्यालय	प्रखण्ड संसाधन केन्द्र कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी संबद्ध विद्यालय के प्रधानाध्यापक
VSS/SMDC	विद्यालय शिक्षा समिति विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति	संचालन समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव विद्यालय के प्रधानाध्यापक-सह-अध्यक्ष
<b>1.3 - Agency Data Operator</b>		
स्तर	कार्यालय का नाम	पदाधिकारी/कर्मी
राज्य स्तरीय कार्यालय	राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	लेखा पदाधिकारी
जिला स्तरीय कार्यालय	बिहार शिक्षा परियोजना DIET	लेखा पदाधिकारी/लेखापाल वरीय व्याख्यता
प्रखण्ड स्तरीय कार्यालय	प्रखण्ड संसाधन केन्द्र कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय	लेखा सहायक-सह-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर * लेखापाल **
VSS/SMDC	विद्यालय शिक्षा समिति विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति	विद्यालय के प्रधानाध्यापक वरीय शिक्षक-सह-सचिव

\* प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में लेखा सहायक-सह-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का पद रिक्त होने की स्थिति में नामित लेखा कर्मी।

\*\* कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में लेखापाल का पद रिक्त होने की स्थिति में नामित लेखा कर्मी।

उपरोक्त के आलोक में विभिन्न स्तरों पर निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :-

1. प्रत्येक स्तर पर उपरोक्त नामित Agency User को PFMS के Web - Portal पर Create करना सुनिश्चित किया जाय। तत्पश्चात् Agency User द्वारा **अनुलग्नक - I** के रूप में अंकित कार्यों को संपादित किया जायेगा।
2. PFMS के Web - Portal से निर्गत E-Payment Print Advice के माध्यम से ही Vendor/Beneficiary को भुगतान किया जाय एवं किसी भी परिस्थिति में अन्य Banking Instruments से भुगतान नहीं किया जाय।
3. वैधानिक कटौतियाँ यथा TDS (As per Income Tax), TDS (As per GST Rule), Royalty, Labour Cess etc. का भुगतान Cheque / Demand Draft अथवा RTGS के द्वारा किया जा सकता है।
4. राज्य स्तरीय कार्यालय के मार्गदर्शन के आलोक में ही व्यय किया जायेगा।



5. PFMS के Web - Portal से वित्तीय कार्य संपादित किया जाना है, इसलिए प्रत्येक Agency User Password की गोपनीयता रखेंगे। वित्तीय अनियमितता होने की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी के पदाधिकारी/कर्मि दोषी माने जायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

(श्रीकान्त शास्त्री)

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक :- Acctts/272/2016-17/Part-III/ 6861 दिनांक :- 3 /11/2021

प्रतिलिपि :-


1. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान), सभी जिले को क्षेत्राधीन सभी कार्यालयों में उपरोक्त आदेश अनुपालन कराने हेतु प्रेषित।
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिले को अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना को उपरोक्त आदेश अनुपालन हेतु प्रेषित।
4. सभी संभाग प्रभारी, राज्य स्तरीय कार्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, MIS, राज्य स्तरीय कार्यालय, पटना को BEPC के Web - Portal पर अपलोड हेतु प्रेषित

राज्य परियोजना निदेशक

**PFMS Web - Portal पर Agency User का कार्यक्षेत्र**

क्र० सं०	Agency User Type	कार्य क्षेत्र
1	<b>Agency Administrator</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>i. Creation of Users (Agency Data Approver and Agency Data Operator</li><li>ii. Editing the Existing Users</li><li>iii. Editing Admin User Profile</li><li>iv. Registering New Scheme</li><li>v. Manage Other Agency</li><li>vi. Add New Scheme for Child</li><li>vii. Child Agency Registration</li><li>viii. Adding more Bank Accounts</li><li>ix. De-Activation of Scheme/Bank Accounts</li><li>x. Bank Account Activation for E-Payment</li><li>xi. Drawing Limit send to Child Agencies</li></ul>
2	<b>Agency Data Approver</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>i. Data Operator के किये गये कार्यों को सत्यापन, Rejecting एवं अनुमोदित करना।</li><li>ii. Beneficiary/Vender Details का प्रविष्ट आँकड़ों को अनुमोदित करना।</li><li>iii. व्यय की प्रविष्ट राशि को अनुमोदित करना।</li></ul>
3	<b>Agency Data Operator</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>i. Beneficiary/Vendor के विवरणी को प्रविष्ट करना।</li><li>ii. वैध आय-व्यय को प्रविष्ट करना।</li><li>iii. प्रविष्ट किये गये Beneficiary/Vender के विवरणी में बदलाव।</li><li>iv. Bulk Customization</li><li>v. अग्रिम भुगतान एवं समायोजन का प्रविष्टि।</li><li>vi. Beneficiary/Vendor को Mapping करना।</li></ul>

  
29/10/2024

  
29.10.24